प्रशासन गांवों के संग 2024
कैम्प कोर्ट अरांई दिनांक 10/12/2024

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2) राज.1/2000 दिनांक 24.09.2004 की पालना में नियत तिथी से पूर्व तलब कर आज कैम्प कोर्ट अरांई में दिनांक 10.12.2024 को पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वादी अनुपस्थित। वर्तमान जनगणना सम्वत 2074-77 ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई उपखण्ड अरांई में स्थित भूमि खाता नं. 591 खसरा नं. 966 रकबा 0.8899 हैक्टे. वादी द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेची जा चुकी है तथा वर्तमान में यह भूमि इनके भूतपूर्व नथिया पुत्र भूराराम, नकी पुत्र मांगीलाल, नरपत पुत्र हेमराम, नरपत पुत्र विशाराम, नरपत पुत्र योगराज, सत्यनारायण पुत्र रामराम के नाम दर्ज है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वाद अधीन भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिये प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.ना. अधि. को चलाने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं बनता है। वाद अभाव में वादी का वाद सं. 40/2024 उनवान बाबूलाल / सरकार इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र नस्ती में कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:19:24 IST
Reason: SelfAttested